झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान हेतु छात्र संख्या एवं अन्य कागजात के सत्यापन के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 68/2019

एतद् द्वारा स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालय के सचिव एवं प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या पी.आर.216758 दिनांक 13.09.2019 में दिए गए निदेश के आलोक में स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लए अनुदान हेतु आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किया गया है। परिषद् को यह निदेश दिया गया है कि अनुदान के लिए आवेदित इंटर महाविद्यालय के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पंजीकृत छात्र संख्या एवं विगत तीन माह का औसत उपस्थिति के आधार पर ही आवेदन को अग्रसारित कर ससमय ऑनलाईन निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

विज्ञप्ति में दिए गए निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अनुदान हेतु आवेदित स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय के आवेदन को अग्रसारित करने हेतु निम्न कागजात (मूल प्रति एवं तीन प्रतियों में सत्यापित छायाप्रति) के साथ सत्यापन कराना आवश्यक है:–

(क) अनुदान के लिए ऑनलाईन जमा किए गए सानुलग्नक आवेदन प्रपत्र की सत्यापित हार्डकॉपी।
(ख) स्थापना अनुमति/स्थायी प्रस्वीकृति से संबंधित निर्गत पत्र की सत्यापित छायाप्रति तथा स्वीकृत संकायवार सीट से संबंधित पत्र की छायाप्रति।
(ग) सत्र 2019–21 (प्रथम वर्ष) में नामांकित छात्र–छात्राओं की संख्या तथा सत्र 2018–20 (द्वितीय वर्ष) में पंजीकृत छात्र–छात्राओं की संख्या (नामांकन पंजी सहित)
(घ) विगत तीन माह की औसत उपस्थिति (छात्र–छात्राओं की उपस्थिति पंजी सहित)।
(ड.) वार्षिक इंटर परीक्षा, 2019 के संकायवार परीक्षाफल का प्रतिशत (साक्ष्य सहित)।
(च) विगत वर्ष (2018–19) में प्राप्त अनुदान के वितरण से संबंधित बैठक की कार्यवाही तथा अनुदान वितरण से संबंधित साक्ष्य (यथा–बैंक को भेजी गई राशि का ब्यौरा, बैंक स्टेटमेन्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र)।
(छ) इंटर महाविद्यालय परिसर में अन्य संस्थान नहीं चलने से संबंधित शपथ पत्र।
(ज) पूर्ण शासी निकाय गठन से संबंधित पत्र।

कागजात सत्यापन हेतु निर्धारित जिलावार कार्यक्रम:-

क्र.सं.	दिनांक	जिला का नाम
01.	19.11.2019 (मंगलवार)	पलामू, गढ़वा एवं लातेहार
02.	20.11.2019 (बुधवार)	खुंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा एवं चतरा
03.	21.11.2019 (गुरूवार)	पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला–खरसावां
04.	22.11.2019 (शुक्रवार)	दुमका, देवघर, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा एवं जामताड़ा
05.	23.11.2019 (शनिवार)	हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा एवं गिरिडीह
06.	24.11.2019 (रविवार)	राँची
07.	25.11.2019 (सोमवार)	बोकारो एवं धनबाद

उक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को संबंधित जिला के इंटर महाविद्यालय के सचिव एवं प्राचार्य निश्चित रूप से परिषद् कार्यालय में उपस्थित होकर सभी कागजातों, उपस्थिति पंजी एवं नामांकन पंजी के साथ परिषद् कार्यालय, राँची में सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। **साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि के अन्दर ऑनलाईन जमा किए गए आवेदन को ससाक्ष्य सत्यापित कर तीन प्रतियों में सत्यापन तिथि को ही परिषद् में जमा करेंगे।** सत्यापन नहीं होने के स्थिति में उनके अनुदान के लिए आवेदित आवेदन को अग्रसारण योग्य नहीं माना जायेगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त सत्यापन के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा।

ध्यातब्य होकि परिषद् उसी आवेदन को अग्रसारित करने में सक्षम है जिसका आवेदन ऑनलाईन परिषद् के स्तर पर उपलब्ध होगा। निदेशालीय विज्ञप्ति संख्या पी.आर. 216758 दिनांक 13.09.2019 में दिए गए निदेश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/ कॉ.स्था./5029/19-SECY/495/19
Dt. 17.11.2019
D.O.P: 18.11.2019